

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5741/2022

श्रीमती पूनम जैन

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. लक्ष्मी आर्य, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, अलवर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2022

आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्था संख्या-3 की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बसई जोगियान, थानागाजी, अलवर निजी प्रत्यर्था संख्या-3 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्था संख्या-3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जबकि अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है। ऐसे पुरस्कृत अध्यापकों का स्थानान्तरण करते समय प्रत्यर्था विभाग द्वारा 3 विकल्प कार्मिकों से लेने चाहिए, जबकि प्रत्यर्था विभाग द्वारा अपीलार्थी से एक भी विकल्प नहीं लिया गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 07.02.2011 एवं 24.09.2019 (अनुलग्नक-2) का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्था विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, अलवर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कृत कार्मिक है। राज्य सरकार के पुरस्कृत अध्यापकों के स्थानान्तरण संबंध में दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य